

क्रम-संख्या—190



रजि० नं० एल. डब्लू. / एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 अगस्त, 2004
श्रावण 22, 1926 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1227/सात-वि-1-1(क)28-2004
लखनऊ, 13 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 12 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 21 सन्
1997 की धारा 6
का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न" के स्थान पर शब्द "किसी राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न" रख दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन" रख दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(2-क) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भिन्न किसी राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी लोकसेवा यान के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण और भुगतान, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (6) के अधीन सम्बन्धित राज्यों के मध्य हुए करार के अनुसार किया जाएगा और जहाँ ऐसा करार न हो वहाँ इसका उद्ग्रहण तथा भुगतान चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद-1 के खण्ड (क) के अधीन अतिरिक्त कर की दरों की सारणी के क्रम-संख्या-8 में दी गयी दर पर किया जाएगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 6 की उपधारा (1) में, उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न सार्वजनिक सेवा यानों पर उनके संचालन के लिए अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण और संग्रह की व्यवस्था है। उक्त धारा की उपधारा (2) में किसी राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक सेवा यान के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर के उक्त अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्मूला के अनुसार उद्ग्रहण और संग्रह की व्यवस्था है। यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके अन्य राज्यों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सार्वजनिक यान को उक्त उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उद्ग्रहीत और संदत्त कर से मुक्त कर दिया जाय और यह व्यवस्था कर दी जाय कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से भिन्न किसी राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण और भुगतान संबंधित राज्यों के मध्य हुए करार के अनुसार किया जाएगा और जहाँ ऐसा कोई करार न हो वहाँ अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण और भुगतान चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद 1 के खण्ड (क) के अधीन अतिरिक्त कर के दरों की सारणी के क्रम संख्या 8 पर दिये गये दर पर किया जाएगा।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1227(2)/VII-V-1-1 (Ka) 28-2004

Dated Lucknow, August 13, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Yan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2004.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION
(AMENDMENT) ACT, 2004
(U.P. ACT NO. 21 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997

IT IS HEREBY enacted in Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2004.

Short title

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997,—

(a) in sub-section (1) for the words "other than those owned or controlled by the State Transport Undertaking" the words "other than those owned or controlled by a State Transport Undertaking" shall be substituted;

(b) in sub-section (2) for the words "owned or controlled by a State Transport Undertaking" the words "owned or controlled by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation" shall be substituted;

(c) after sub-section (2) the following sub-section shall be inserted, namely :—

Amendment of
section 6 of U.P.
Act no. 21 of
1997

“(2-A) The additional tax in respect of a public service vehicle owned or controlled by a State Transport Undertaking other than the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be levied and paid in accordance with the agreement entered into with the concerned States under sub-section (6) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 and where there is no such agreement it shall be levied and paid at the rate given at Sl. no. 8 of the table of rates of additional tax under clause (a) of Article 1 of the Fourth Schedule.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (1) of section 6 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) provides for levy and collection of additional tax on public service vehicles other than those owned and controlled by the State Transport Undertaking for operating thereof in any public place in Uttar Pradesh. Sub-section (2) of the said section provides for levy and collection of additional tax in respect of a public service vehicles owned or controlled by a State Transport Undertaking in accordance with the formula specified in the Fifth Schedule to the said Act. It has been decided that the public vehicles owned or controlled by other State shall be exempted from the tax levied and paid under the said sub-sections (1) and (2) and to provide that the additional tax in respect of a public service vehicles, owned or controlled by a State Transport Undertaking other than the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be levied and paid in accordance with the agreement entered into with the concerned States and that where, there is no such agreement the additional tax shall be levied and paid at the rate given at serial no. 8 of the table of the rates of additional tax under clause (a) of Article 1 of the Fourth Schedule by amending the said Act.

The Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.